Income of Wakf Boards

7286. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state the State-wise income of the Wakf Boards in the country during the year 1992-93?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Recommendations of Minorities Commission

7287. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what is the total number of recommendations submitted to Government by the Minorities' Commission during the period 1991-92 and 1992-93; and

(b) what is the total number of recommendations out of them which were accepted by Government and what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) and (b) During the year 1991-92 and 1992-93, the Minorities Commission has submitted to the Government two Reports viz., 12th and 13th Annual Reports pertaining to 1989-90 and 1990-91 respectively. These Reports which contain various recommendations, are presently under examination of the Government and will be laid before both the Houses of Parliament along with the Action Taken Memorandum.

मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति

7288. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को विज्ञापित करके बड़ी संख्या में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) किसी मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय में हो रही ऐसी घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के लिए क्या दण्ड निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के पदों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो सबंधित विभाग द्वारा पूरी की जाने वाली कानूनी औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री के. वी. तंगकानाल) : (क) से (घ) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सूचना मांगी गई है और सभापटल पर रख दी जाएगी

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण

7289. **श्री गोविन्द राम मिरी** : क्या **कल्याण** मंत्री जयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बढ़ती हुई निर्माण लागत को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तगत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सबधित युवकों और युवतियों के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए निर्धारित लागत सीमा में वृद्धि करने के लिए और मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति को महसूस करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग की निर्देशिका के अनुसार इन भवनों की निर्माण लागत में 50 प्रतिशत राशि का योगदान करने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब प्रभावी होगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और